



2026:AHC:161057

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26264 वर्ष 2026

जगमोहन

सिंह

यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

राजकरन

यादव, रमेश चंद्र यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय

अधिवक्ता, जितेंद्र प्रसाद मिश्रा

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. यादव द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश के अनुसरण में आपराधिक इतिहास की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत पूरक हलफनामे को अभिलेख पर ले लिया गया है।

1ए. हमने अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री यादव, सूचनाकर्ताकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंशु प्रधान और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता विद्वान की बात सुनी।

2. यह जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त जगमोहन सिंह यादव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 68 सन् 2026, धारा 140(1), 115(2), 351(3) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- नारायणी, जिला-बांदा में मुकदमे की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त आवेदक को अपहृत राम नारायण के पिता द्वारा दिनांक 12.04.2026 को दो नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में झूठा फंसाया गया है। इस एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम भी शामिल है। एफ.आई.आर. में आरोप है कि घटना से एक दिन पहले, दिनांक 11.04.2026 को तिलक समारोह में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। अगले दिन, अभियुक्त ने पीड़ित राम नारायण को अपनी ऑल्टो कार में अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट की। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि एफ.आई.आर. से ही यह स्पष्ट होता है कि अपहृत व्यक्ति चलती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार से भाग निकला। आगे यह तर्क दिया गया कि अपहृत व्यक्ति को चार चोटें आई हैं जो चिकित्सा-कानूनी और पूरक चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट के अनुसार मामूली प्रकृति की हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. में ही यह दर्शाया गया है कि अपहृत व्यक्ति कार से कूद गया था। संभवतः घायल अपहृत व्यक्ति को चोटें आई होंगी। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपहरण फिरौती या किसी अन्य कारण से किया गया था। आवेदक का आपराधिक इतिहास सात मामलों का है, जिनमें से दो मामलों में उसे बरी कर दिया गया है और पांच मामलों में वह जमानत पर है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के आपराधिक इतिहास का एक मामला मध्य प्रदेश के सतना का है, जिसमें उसे बरी कर दिया गया है। आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आवेदक 13.04.2026 से जेल में बंद है। वह जमानत पर रिहाई की मांग करता है।

4. सूचनाकर्ताकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह अपहरण का मामला है जिसमें घायल व्यक्ति के सिर में चोट आई है, हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है, लेकिन अभियुक्त आवेदक पर लाठी, डंडा और रॉड के इस्तेमाल का आरोप है और उसकी कार भी जब्त कर ली गई है, जहां से खून के धब्बे मिले हैं। उन्होंने जमानत आवेदन खारिज करने की मांग की।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. चोटों की प्रकृति और आरोपी आवेदक सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. अतः, मामले की योग्यता पर विचार किए बिना, जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

8. उपरोक्त मामले में अभियुक्त/आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एससीसी 674]** और **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन रे [(2024) 10 एससीसी 685]** के अपने निर्णयों में कहा है।

9. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष और शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

3 अगस्त, 2026

शरद/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।